न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **25/2021** दायर दिनाँक **02.02.2021**

वादी

1. भागीरथ टाक पुत्र नाथू
2. पूनमचन्द पुत्र नाथू समस्त जाति माली निवासी छापरी दरवाजा, डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मोटाराम पुत्र नाथू
2. तिलोकराम पुत्र नाथू समस्त जाति माली निवासी छापरी दरवाजा, डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
3. मो0 इकराम पुत्र अब्दुल मजीद
4. मो0 शरीफ पुत्र अब्दुल मजीद
5. मो0 अनिश पुत्र अब्दुल मजीद
6. जाकिर पुत्र अब्दुल मजीद
7. आमना पत्नि अब्दुल मजीद
8. सुबाना पुत्री अब्दुल मजीद
9. मो0 युसुफ पुत्र सदीक
10. अब्दुल सतार पुत्र सदीक
11. उमरदीन पुत्र सदीक
12. सवालीन पुत्र सदीक समस्त जाति देशवाली निवासीगण अमरपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
13. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री चेनाराम थोरी वकील वादी।
2. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील प्रतिवादीगण 1, 2, 4, 9 ता 12।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **21.07.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि सरहद ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का दादुबासनी खेत खसरा सं0 50 रकबा 5.2900 हैक्टे0, खसरा सं0 297 रकबा 1.9000 हैक्टे0, खसरा सं0 299 रकबा 3.9200 हैक्टे0 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **18.07.2023** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः प.1(1)रीडर/2024/302 दिनाँक 29.06.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(1)रीडर/2024/302 दिनाँक 29.06.2024 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:13:07 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

सरहद ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का दादुबासनी खेत खसरा सं0 50 रकबा 5.2900 हैक्टे0, खसरा सं0 297 रकबा 1.9000 हैक्टे0, खसरा सं0 299 रकबा 3.9200 हैक्टे0 की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(1)रीडर/2024/302 दिनाँक 29.06.2024 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है। वादी संख्या 1 का नाम भागीरथ के स्थान पर भागीरथ टाक, वादी संख्या 2 का नाम पूर्णमल के स्थान पर पूनमचन्द, प्रतिवादी संख्या 2 का नाम तिलाराम के स्थान पर तिलोकराम दुरूस्त किया जाता है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(1)रीडर/2024/302 दिनाँक 29.06.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **21.07.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:13:07 IST
Reason: SelfAttested